मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल

..आदेश..

दिनांक 31,10,2015

कमांक - /21-अ(स्था.), श्री जसमान सिंह, नियमित आकस्मिकता (चौकीदार) को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न भृत्य के पद पर पुनरीक्षित वेतन बँड रू. 4440-7440 ग्रेड-पे रू. 1300/- में दिनांक 01 नवंबर, 2015 से नियुक्त किया जाता है।

कर्माक - | /21-अ(रबा.), श्री प्रमोद दुवे, नियमित आकस्मिकता (चौकीदार), महाधियक्ता कार्याजय, जबलपुर को अस्थाई रूप से महाधियक्ता कार्यालय, जबलपुर में स्थानापन्न भृत्य के पद पर पुनरीक्षित वेतन वेंड रू. 4440-7440 ग्रेड-पे रू. 1300/- में दिनांक 01 नवंबर, 2015 से नियुक्त किया जाता है।

कमांक , ... /21—अ(स्था.). श्री लाला बाधम (अ.जा.), नियमित आकस्मिकता (फर्राश) को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न भृत्य के अनारक्षित श्रेणी के पद के विरूद्ध पुनरीक्षित वेतन बैंड रू. 4440—7440 ग्रेड—पे रू. 1300/- में दिनांक 01 नवंबर, 2015 से नियुक्त किया जाता है।

कमांक ं - /21—अ(स्था.), श्री धनश्याम सिंह पाल, नियमित आकस्मिकता (फर्राश) को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न मृत्य के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू. 4440—7440 ग्रेड–पे रू. 1300/- में दिनांक 01 नवंबर, 2015 से नियुक्त किया जाता है।

कर्माक . /21-अ(रथा.), श्री मो. इरफान, नियमित आकरिमकता (पानीवाला), अति. महाधिवक्ता, ग्वालियर को अरथाई रूप से अति. महाधिवक्ता, ग्वालियर में स्थानापन्न भृत्य के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू. 4440-7440 ग्रेड-पे रू. 1300/- में दिनांक 01 नवंबर, 2015 से नियुक्त किया जाता है।

कर्माक - /21-अ(स्था.). श्री मूलचंद रैकवार (अ.ज.जा.), नियमित आकस्मिकता (चौकीदार) को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न भृत्य के पद पर पुनरीक्षित वेतन वैड रू. 4440-7440 ग्रेड-पे रू. 1300/- में दिनांक 01 नवंयर, 2015 से नियुक्त किया जाता है। कर्मांक /21-अ(स्था.), श्री भोलादत्त, नियमित आकस्मिकता (स्वीपर) को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न भृत्य के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू. 4440-7440 ग्रेड-पे रू. 1300/- में दिनांक 01 नवंबर, 2015 से नियुक्त किया जाता है।

कमांक /21-अ(स्था.), श्री हरेन्द्रनाथ तिवारी, नियमित आकरिमकता (फर्राश) को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न भृत्य के पद पर पुनरीक्षित वेतन बँड रू. 4440-7440 ग्रेड-पे रू. 1300/- में दिनांक 01 नवंबर, 2015 से नियुक्त किया जाता है।

कमांक (भू 21-अ(स्था.), श्री योगेश जाधव (अ.जा.), नियमित आकरिमकता (स्वीपर) को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न भृत्य के पद पर पुनरीक्षित वेतन बँड रू. 4440-7440 ग्रेड-पे रू. 1300/- में दिनांक 01 नवंबर, 2015 से नियुक्त किया जाता है।

कमांक - - /21-अ(स्था.), श्री हरिसिंह रावत (अ.ज.जा.), नियमित आकरिमकता (स्वीपर) को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न भृत्य के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू. 4440-7440 ग्रेंड-पे रू. 1300/- में दिनांक 01 नवंबर, 2015 से नियुवत किया जाता है।

"प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है।"

> हैन्द्रसा / -(विरेन्दर सिंह) प्रमुख सचिव,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल

..आदेश..

दिनांक 31.10.2015

कमांक . 17 /21-अ(रथा.), श्री सी.पी. बिल्लीरे, सहायक ग्रेड-2, विधि विभाग को अस्थाई रूप से विधि विभाग, भोपाल में स्थानापन्न सहायक ग्रेड-1 के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू, 9300-34800 ग्रेड-पे रू, 3600/- में दिनांक 01 नवन्बर 2015 से पदोन्नत किया जाता है।

कमांक , /21—3(स्था.). श्री नवाब मियां कुरैशी, सहायक ग्रेंड—2, विधि विभाग को अस्थाई रूप से विधि विभाग, भोपाल में श्री लालचंद मेहचंदानी, सहायक ग्रेंड—1 की पदोन्नित के कारण रिवत पद पर स्थानापन्न सहायक ग्रेंड—1 के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू. 9300—34800 ग्रेंड—पे रू. 3600/— में दिनांक 01 नवम्बर 2015 से इस शर्त के साथ पदोन्नित किया जाता है कि संबंधित लोकसेवक के पदावनत होने पर कनिष्ठतम लोकसेवक को पदावनत किया जाएगा।

कर्माक () /21-अ(स्था.), श्री एस.के. श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-3, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर को अरथाई रूप से महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में स्थानापन्न सहायक ग्रेड-2, के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू. 5200-20200 ग्रेड-पे रू. 2400/- में दिनांक 01 नवम्बर 2015 से पदोन्नत किया जाता है।

कमांक , ,) । /21—अ(स्था.), श्रीमती अर्चना कोकजे, सहायक ग्रेड—3, विधि विभाग को अस्थाई रूप से विधि विभाग, मोपाल में श्री नवाब मियां कुरेशी, सहायक ग्रेड—2 की प्रदोन्नित के कारण रिक्त पद पर स्थानापन्न सहायक ग्रेड—2 के पद पर पुनरीक्षित वेतन बेंड रू. 5200—20200 ग्रेड—पे रू. 2400/— में दिनांक 01 नवम्बर 2015 से इस शर्त के साथ प्रदोन्नित किया जाता है कि संबंधित लोकसेवक के पदावनत होने पर कनिष्ठतम लोकसेवक को पदावनत किया जाएगा।

"प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पर्दो पर पर्दोन्नित के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है।"

> (विरेन्दर सिंह) प्रमुख सचिव

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल भोपाल, दिनांक 31.10.2015

पृ.क. ____/21—अ(स्था.), प्रतिलिपि:—

1. महाधिवक्ता कार्यालय म.प्र., जबलपुर,

 वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल / जबलपुर
संबंधित लिपिक, सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत नस्ती में प्रविष्टी के लिये और पे-बिल लिपिक व आई.टी, प्रकोष्ठ को आवश्यक कार्यवाही हेत.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

४ (आर.को. वाणी रा ४ ८० । सचिव

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल

..आदेश..

दिनांक 31.10.2015

कर्मांक क्रियां है। / 21-अ(स्था.), राज्य शासन, श्री सुशील कुमार तिवारी, सहायक ग्रेड-1, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर को अस्थाई रूप से महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में स्थानापन्न अनुमाग अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन वेंड रू. 9300-34800 ग्रेड-पे रू. 4200/- में दिनांक 01 नवम्बर 2015 से पदोन्नत करता है।

कमांक (. ११६, /21-अ(स्था,), राज्य शासन, श्री लालचंद मेहचंदानी, सहायक ग्रेड-1, विधि विभाग को अस्थाई रूप से सामान्य प्रशासन विभाग के परिपन्न के, एफ/सी-6-2/94/3/एक दिनांक 30.06.1994 एवं क्र. एफ/सी-6-3/11/3/एक दिनांक ,29.11.2012 के प्रावधानों के अनुरूप श्री सी.के. वर्मा, सहायक ग्रेड-1 के बंद लिफाफे के कारण रिक्त पद के विरूद्ध विधि विभाग में स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन वेंड रू. 9300-34800 ग्रेड-पे रू. 4200/- में दिनांक 01 नवम्बर 2015 से इस शर्त के साथ पदोन्नत करता है कि यदि श्री सी.के. वर्मा, सहायक ग्रेड-1 विभागीय जांच में पूर्णतः दोषमुक्त पाये जाएगें तो तत्समय उन्हें तत्काल पदोन्नति दी जाएगी एवं आवश्यक पद उपलब्ध न होने पर संबंधित कनिष्ठतम लोकसेयक को पदावनत किया जायेगा।

"प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है।"

> न.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार हरूता/--

(विरेन्दर सिंह) प्रमुख सचिव,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल भोपाल, दिनांक 31.10.2015

पृ.क.(...।"> / 21—अ(स्था.), प्रतिलिपि:—

1. महाधिवक्ता कार्यालय म.प्र., जबलपुर,

श्री सुङ्गील कुमार तिवारी, सहायक ग्रेंड-1, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर,

श्री लॉलचंद मेहचंदानी, सहायक ग्रेड-1, विधि विभाग.

4. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल / जबलपुर,

 संबंधित लिपिक, सेवा पुरितका, व्यक्तिगत नरती में प्रविष्टी के लिये और पे–बिल लिपिक व आई.टी. प्रकोष्ठ को आवश्यक कार्यवाही हेत.

की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

 उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर म.प्र. राजपन्न के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

> > (आर.के. घाणी सचिव,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल